न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64 / 2021

1 बनारसी देवी पुत्री मानाराम।
2 भागुराम पुत्र मानाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण थेथलिया तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गाबाई पुत्री मानाराम जाति बलाई निवासी थेथलिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार फतेहपुर ।
3 उप पंजियक फतेहपुर तहसील फतेहपुर।
4 भू–अभिलेख निरीक्षक बिराणियां तहसील फतेहपुर।
5 पटवारी हल्का रोसावा तहसील फतेहपुर।
6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर जरिये मैनेजर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा उपखण्ड अधिकारी महोदय, फतेहपुर शेखावाटी दिनांक 07.02.2020 मुकदमा अनुवानी दुर्गाबाई बनाम बनारसी देवी आदि मुकदमा नम्बर 04 / 2020 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 2.2200 हैक्टेयर तन ग्राम थेथलिया तहसील फतेहपुर के सम्बंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के विरूद्व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर में एक दावा व उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने दिनांक 07.02.2020 को एक पक्षीय आदेश विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 2.2200 हैक्टेयर तन ग्राम थेथलिया के सम्बंध में इस आशय का जारी किया कि उभयपक्ष उक्त आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारिख पेशी दिनांक 13.03.2020 तक बनाये रखे तथा विक्रय/बेचान नही करे। विचारण न्यायालय की आज्ञा जैर अपील दिनांक 07.02.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन के उपरान्त अप्रार्थीगण को आज दिनांक रजिस्टर्ड नोटिस से तलब नही किया गया है। विधि अनुसार सहकाश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना भी सुनिश्चित नही की गई है। अपील अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन स्थगन आदेश अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन अन्तरिम स्थगन आदेश एक पक्षीय रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक 07.02.2020 को पारित किया गया है। जो निरन्तर चला आ रहा है किन्तु अपीलांट द्वारा भी इस स्थगन आदेश की जानकारी के उपरान्त भी विचारण न्यायालय में उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन अन्तरिम स्थगन आदेश एक पक्षीय रूप से दिनांक 07.02.2020 को पारित किया गया है। जो निरन्तर चला आ रहा है किन्तु अपीलांट द्वारा भी इस स्थगन आदेश की जानकारी के उपरान्त भी विचारण न्यायालय में उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का निस्तारण अन्तिम रूप से आदेश 39 नियम 3 की पालना में आगामी दो माह में करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर